भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4048

जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहन

4048. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में 'एंड ऑफ लाइफ' वाहन चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या का कोई आकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अनुसार, जीवन-काल समाप्ति वाले वाहन (एंड ऑफ लाइफ (ईएलवी) का तात्पर्य उन सभी वाहनों से है जो अब वैध रूप से पंजीकृत नहीं हैं या स्वचालित फिटनेस केंद्रों के माध्यम से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं या उनके पंजीकरण मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय IV के तहत या किसी न्यायालय के आदेश के कारण रद्द कर दिए गए हैं या किसी भी परिस्थिति के कारण वैध पंजीकृत मालिक द्वारा बेकार वाहन के रूप में स्व-घोषित किए गए हैं या जिनका परीक्षण अंतिम परीक्षण की तारीख से 180 दिनों के भीतर नहीं किया गया है, जिसमें परीक्षण का दिन या फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख को छोड़कर, जो भी बाद में हो।

ऐसे वाहनों के 17 दिसंबर 2024 तक के राज्य-वार आंकडे संलग्न हैं, जिनका न तो वैध फिटनेस है और न ही वैध पंजीकरण है या जिनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है या वापस लौटा (सरेंडर कर) दिया गया है।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा एंड ऑफ लाइफ घोषित किए गए वाहनों पर कार्रवाई की जानी है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किया जा सकता है।

“एंड-ऑफ-लाइफ' वाहन’ के संबंध में श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा पूछे गए दिनांक 19.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4048 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>वाहनों का राज्य-वार विवरण</u>

राज्य का नाम	**बगैर वैध फिटनेस वाले परिवहन वाहनों की संख्या**	**बगैर वैध फिटनेस वाले गैर परिवहन वाहनों की संख्या**	**आर.सी. रद्द किए गए वाहनों की संख्या**	**आर.सी. वापस लौटाए गए वाहनों की संख्या**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	8,529	39,745	525	0
आंध्र प्रदेश	1,206,672	3,510,170	22,141	3
अरुणाचल प्रदेश	28,265	36,747	2,591	35
असम	461,024	331,144	9,163	57
बिहार	1,419,850	163,509	4,871	313
चंडीगढ़	21,040	147,816	3,622	20
छत्तीसगढ	298,277	898,544	11,391	1,501
दिल्ली	761,261	5,929,842	3,300	4,756
गोवा	56,956	139,331	10,466	0
गुजरात	1,303,368	2,272,619	44,096	23
हरियाणा	657,929	2,291,722	21,823	1,397
हिमाचल प्रदेश	178,943	358,569	26,648	1,985
जम्मू और कश्मीर	110,793	154,020	7,742	0
झारखंड	743,340	840,010	10,960	1,160
कर्नाटक	2,004,005	7,751,968	90,533	8,020
केरल	932,305	3,022,896	135,209	81,715
लद्दाख	7,183	2,750	391	0
लक्षद्वीप	1,623	4,295	266	0
मध्य प्रदेश	765,661	5,161,042	50,193	1
महाराष्ट्र	1,373,847	3,726,955	98,401	147
मणिपुर	39,398	133,597	1,286	1
मेघालय	84,686	96,676	5,782	2
मिजोरम	33,636	64,866	4,894	200
नगालैंड	114,798	44,011	3,383	5
ओडिशा	912,190	1,891,952	36,319	11
पुदुचेरी	33,373	462,281	708	1,254
पंजाब	499,588	3,333,960	17,241	29
राजस्थान	794,262	1,699,983	30,545	20,236

सिक्किम	9,352	11,129	1,048	74
तमिलनाडु	1,558,539	5,511,149	44,609	7,690
त्रिपुरा	70,218	102,474	7,093	135
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	22,159	125,147	1,503	0
उत्तर प्रदेश	1,686,661	8,349,473	402,210	36,922
उत्तराखंड	176,433	603,354	34,276	26,274
पश्चिम बंगाल	1,085,345	2,449,632	9,996	1,239
कुल योग	**19,461,509**	**61,663,378**	**1,155,225**	**195,205**

*****